न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 65/2025 G.C.M.S. No. 2025/233 वर्ज दिनांक : 20.06.2025

अपीलार्थी:

1. तलसीदेवी पुत्र केसाराम, उम्र वयस्क।
2. दुदाराम पुत्र धनाराम, उम्र वयस्क।
3. पंकु पुत्री धनाराम, उम्र वयस्क।
4. हस्तु पत्नि धनाराम, उम्र वयस्क, जातिगण मेघवाल, निवासीगण उन्दरी, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. भंवरलाल बोराणा पुत्र नेना, आयु बालिग, जाति खटीक, निवासी गांधी चौक सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 147/2024 बअनवान भंवरलाल बनाम तलसीदेवी वगैरह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023

पैरोकार–

1. श्री नारायणलाल कुमावत, श्री शंकर सुथार, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 30.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 147/2024 बअनवान भंवरलाल बनाम तलसीदेवी वगैरह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। साथ ही प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी का इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम जाखोड़ा तहसील सुमेरपुर के गत खसरा नम्बर 148 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा नहरी अव्वल के नये खसरा नम्बर 337 रकबा 0.39 हैक्टेयर की कृषि भूमि अप्रार्थीगण (अपीलांट) के पिता, पति, दादा द्वारा दिनांक 01.03.1965 में वसीयत की गई थीं। उक्त गत खसरा नम्बर 148 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण (अपीलांट) के पिता, पति, दादा की स्वअर्जित सम्पति हैं। अप्रार्थीगण (अपीलांट) के पिता, पति, दादा के अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

जीवनकाल में प्रार्थी (रस्पोंडेन्ट संख्या 1) के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की थीं। उसके आधार पर प्रार्थी (रेस्पोंडेन्ट संख्या 1) सन 1965 से आज तक उपरोक्त भूमि पर बतौर मालिक काश्त करता आ रहा हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थी (रेस्पोंडेन्ट संख्या 1) लगातार 1965 से शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा हैं। प्रार्थी (रेस्पोंडेन्ट संख्या 1) के पक्ष में निष्पादित वसीयत आज दिन तक प्रभाव में हैं और उसे न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया है, न ही वसीयत निष्पादितकर्ता द्वारा वसीयत को निरस्त किया गया है। चूंकि वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 02.04.1975 को हो गई हैं। जबकि वसीयत को निरस्त नहीं किया गया हैं। इसलिए उक्त वसीयत प्रभाव में हैं। तब तक प्रार्थी (रेस्पोंडेन्ट संख्या 1) विधिवत वादग्रस्त भूमि का खातेदार हैं और माना जायेगा। इसके विपरीत इन्द्राज स्वतः ही अवैध व शून्य हैं। इसलिए राजस्व रेकर्ड उपरोक्त वसीयत की पालना में ही अमल दरामद किया जाना विधिक रूप से लाजमी एवं न्याय संगत हैं। इसलिए उपरोक्त वसीयतनामा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत् और तदनुरूप प्रार्थी (रेस्पोंडेन्ट संख्या 1) को खातेदार घोषित किये जाने बाबत् खातेदारी घोषणा का उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी (रेस्पोंडेन्ट संख्या 1) ही हर वर्ष काश्त करता हैं, फसल बोता हैं। प्रार्थी (रेस्पोंडेन्ट संख्या 1) के अलावा अन्य किसी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं है। ऐसी सूरत में प्रार्थी (रेस्पोंडेन्ट संख्या 1) को बेदखल करने का अप्रार्थीगण (अपीलांट) को विधिक रूप से कोई अधिकारिता नहीं हैं। हाल ही करीब 25 दिन पूर्व अप्रार्थीगण (अपीलांट) द्वारा प्रार्थी (रेस्पोंडेन्ट संख्या 1) को कहा कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी (रेस्पोंडेन्ट संख्या 1) की ही नहीं होकर हमारे नाम पर नामान्तरण दर्ज हो गया है। इसलिए उक्त भूमि हमारे खातेदारी की हैं। इसलिए उपरोक्त भूमि से अपना कब्जा हटा ले जाये की बात बताई। जिस पर प्रार्थी (रेस्पोंडेन्ट संख्या 1) ने राजस्व रेकर्ड की नकलें निकलवाई। तब प्रार्थी (रेस्पोंडेन्ट संख्या 1) को सर्वप्रथम यह जानकारी हुई कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी (अपीलांट) के नाम दर्ज हो गई हैं। जिस पर खातेदार घोषणा का उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अप्रार्थीगण (अपीलांट) के पिता, पति, दादा द्वारा वसीयतनामे के आधार पर प्रार्थी (रेस्पोंडेन्ट संख्या 1) विधिवत् खातेदार हो चुका है। प्रार्थी (रेस्पोंडेन्ट संख्या 1) के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा व्यवधान उत्पन्न का कोई अधिकारिता नहीं हैं और प्रार्थना पत्र के अंत में विरूद्ध अप्रार्थीगण (अपीलांट) के उक्त कृषि भूमि बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना चाही गई। जो प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया और अप्रार्थीगण (अपीलांट) द्वारा प्रार्थी (रेस्पोंडेन्ट संख्या 1) के प्रार्थना पत्र का विस्तृत जवाब मय विशेष आपत्ति सहित प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् विधि विरूद्ध रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया। जो सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमने प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण अपीलांट्स को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई हैं।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स के पूर्वज केसाराम की खातेदारी आराजी थीं तथा खातेदार केसाराम एवं पुत्र धनाराम के फौत हो जाने पर पुत्री तलसी देवी एवं धनाराम के वारिसान के नाम नामांतरण स्वीकृत किया गया। प्रार्थी वादी द्वारा अपंजीकृत एवं अन्स्टांप्ड सादे कागज पर लिखित कथित वसीयत की अप्रमाणित प्रति के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। उक्त कथित वसीयत की वैधता या अवैधता के संबंध में कोई टिप्पणी किए बिना हमारे विनम्र मत में जब तक उक्त वसीयत के आधार पर अधिकारों की घोषणा नहीं हो जाती या सक्षम न्यायालय द्वारा वसीयत की वैधता के संबंध में निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उक्त कथित लिखत के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात के अभिलिखित खातेदारान व मृतक के वारिसान के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट वादी के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला साबित नहीं माना जा सकता। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया मामले के संबंध में विरोधाभासी निर्णय अंकित किया है। साथ ही चूंकि रेस्पोंडेंट वादग्रस्त आराजीयात के अभिलिखित खातेदार है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत कथित लिखत विवादास्पद है। अतः ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन अपीलांट वादी के पक्ष में नहीं माना जाकर रेस्पोंडेंट के पक्ष में बखूबी निहित है एवं यदि अभिलिखित खातेदारान रेस्पोंडेंट्स को अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया जाता है तो उन्हें अपूरणीय क्षति संभव है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में पारित अपने अभिमत का कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कारण अंकित नहीं किया है एवं केवल वादी के दावे के आधार पर सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में होना अंकित कर दिया गया। जो पुष्टि योग्य नहीं हैं।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन आदेश की पुष्टि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य नहीं होने से अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner